मैसर्स श्रीमती मनोरमा वर्मा जनपद–लखीमपुरखीरी द्वारा गाटा सं0–183–ब, (कुल क्षेत्रफल 13.06 हेक्टेयर) ग्राम–सर्वा शिवपुरी, तहसील–लखीमपुर जिला–लखीमपुरखीरी शारदा नदी में साधारण बालू खनन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रेषित प्रस्ताव के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ,नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, लखीमपुरखीरी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), लखीमपुरखीरी की अध्यक्षता में परियोजना स्थल पर दिनांक 30.10.2018 को सम्पन्न हुई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त ।

मैसर्स श्रीमती मनोरमा वर्मा जनपद–लखीमपुरखीरी द्वारा गाटा सं0–183–ब, (कुल क्षेत्रफल 13.06 हेक्टेयर) ग्राम–सर्वा शिवपुरी, तहसील–लखीमपुर जिला–लखीमपुरखीरी शारदा नदी में साधारण बालू खनन में शारदा नदी से 156720.0 घनमी0 प्रतिवर्ष साधारण बालू खनन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ,नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उक्त प्रस्ताव पर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आम सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं टाइम्स आफ इण्डिया (अंग्रेजी)में क्रमशः दिनांक 25.09.2018 को आम जनता से पर्यावरण सम्बन्धी आक्षेप/सुझाव/आपत्ति आदि प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर आमंत्रित किये गये थे तथा लोक–सुनवाई दिनांक 30.10.2018 को किये जाने की तिथि नियत की गयी थी। उक्त निर्धारित अवधि में कोई आक्षेप/सुझाव/आपत्ति आदि विज्ञप्ति में उल्लिखित कार्यालयों (जिलाधिकारी कार्यालय, लखीमपुरखीरी, मुख्यालय उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,लखनऊ तथा क्षेत्रीय कार्यालय,उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, कार्यालय जिला पंचायत, जिला उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र) में प्राप्त नहीं हुए हैं। **मैसर्स श्रीमती मनोरमा वर्मा जनपद–लखीमपुरखीरी द्वारा गाटा सं0–183–ब, (कुल क्षेत्रफल 13.06 हेक्टेयर) ग्राम–सर्वा शिवपुरी, तहसील–लखीमपुर जिला–लखीमपुरखीरी** द्वारा उक्त स्थल पर शारदा नदी से साधारण बालू खनन सम्बन्धी प्रेषित आवेदन पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार लोक सुनवाई अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),लखीमपुरखीरी की अध्यक्षता में परियोजना स्थल पर उनके अनुमति से प्रारम्भ हुई। लोक सुनवाई की कार्यवाही का विस्तृत विवरण निम्नवत् है :–

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के क्षेत्रीय अधिकारी, डा0 राम करन ने लोकसुनवाई मे उपस्थित अध्यक्ष महोदय एवं आम जन मानस का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ,नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित उक्त प्रस्ताव पर लोक–सुनवाई की प्रकिया अपनायी जानी आवश्यक है। लोकसुनवाई प्रकिया सम्पादित किये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) लखीमपुरखीरी की अध्यक्षता मे कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, लखीमपुरखीरी द्वारा नामित किया गया जिसकी लोकसुनावाई तिथि दिनांक 30.10.2018 को नियत की गयी। परियोजना का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेएयर से अधिक होने के कारण लोकसुनवाई की प्रकिया की जानी होती है जिसमे उक्त परियोजना के गाटा सं0–183 (ब) का कुल क्षेत्रफल 13.06 हेक्टेयर प्रस्तावित है। परियोजना का टी0ओ0आर0 राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उ0प्र0 (स्टेट लेवल इन्वायरन्मेन्ट इम्पैक्ट असेस्मेन्ट अथारिटी, उ0 प्र0) के पत्र सं0 112/पर्या/एस.ई.ए.सी./4193/2018, दिनांक 25.05.2018 द्वारा उक्त प्रस्तावित स्थल पर बालू खनन हेतु जारी है ।

राज्य बोर्ड को प्राप्त प्रस्ताव एवं पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रकाश डालने हेतु परियोजना प्रस्तावक के पर्यावणीय सलाहकार श्री सुनील वर्मा, पर्यावरण प्रबन्धक परामर्श दाता, मैसर्स ग्रीन इन्वायरो हाउस प्रा0लि0, अलीगंज, लखनऊ को आमंत्रित किया गया। आवेदक के पर्यावणीय

सलाहकार द्वारा लोकसुनवाई में उपस्थित अधिकारियों एवं उपस्थित नगरिको का अभिन्नदन करते हुये प्रस्तावित परियोजना के बारे में विस्तृत रूप से निम्नवत् प्रकाश डाला गयाः–

1. आवेदक के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि **मैसर्स श्रीमती मनोरमा वर्मा जनपद–लखीमपुरखीरी द्वारा गाटा सं0–183–ब, (कुल क्षेत्रफल 13.06 हेक्टेयर) ग्राम–सर्वा शिवपुरी, तहसील–लखीमपुर जिला–लखीमपुरखीरी** द्वारा शारदा नदी से 156720 घनमी0 प्रतिवर्ष साधारण बालू खनन किया जायेगा। बालू खनन पट्टे के लीज का क्षेत्रफल अक्षांश 28°7.327′*N*, एवं देशान्तर 80°50.372′E, के मध्य स्थित है।
2. शारदा नदी से मौरंग/बालू का खनन अधिकतम 2.7 मीटर की गहराई तक श्रमिकों/अर्द्ध मशीनीकृत (बार स्कंपेर और लोडर के उपयोग द्वारा) किया जायेगा। खनन का कार्य केवल दिन में ही किया जायेगा तथा वर्षा काल में खनन का कार्य पूरी तरह से बन्द रखा जायेगा। बालू खनन का कार्य इस प्रकार से किया जायेगा, जिससे कि भूगर्भ जल स्तर प्रभावित न हो। बालू खनन का कार्य नदी के किनारे सेफ जोन (समुचित क्षेत्रफल में) छोड़कर किया जायेगा तथा खनन का कार्य नदी के बहाव क्षेत्र से ही किया जायेगा। नदी के किनारे आवागमन हेतु रैम्प की व्यवस्था की जायेगी।
3. आवेदक के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि बालू खनन में जल की कोई आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु खनन एवं उसके समीपस्थ क्षेत्र में धूल के कण को उड़ने से रोकने के लिए निरन्तर जल का छिड़काव किया जायेगा। बालू खनन कार्य में संलग्न कार्मिकों की कुल संख्या लगभग 20 होगी, जिसके लिए शुद्ध जल की आपूर्ति किया जायेगा। खनन के आस–पास के क्षेत्र में धूल के कण को रोकने हेतु नदी के जल से नियमित रूप से छिड़काव किया जायेगा। बालू खनन कार्य में संलग्न कार्मिकों हेतु अस्थायी शौचालय की व्यवस्था स्थापित की जायेगी। घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले बहिश्राव के शुद्धिकरण हेतु समुचित व्यवस्था स्थापित की जायेगी।
4. आवेदक के प्रतिनिधि ने परियोजना की आर्थिक आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया कि परियोजना से आस–पास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। राज्य के लिए राजस्व वसूली में वृद्धि होगी, जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने आगे बताया कि, अवैज्ञानिक ढंग से बालू खनन किये जाने से जगह–जगह गड्ढे हो जाते हैं तथा जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। भू–जल स्तर में भी गिरावट होती है तथा बालू का आवश्यकता से अधिक दोहन होता है।
5. परियोजना से निर्माण सामग्री जैसे रेत की आपूर्ति में सुधार होगा इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं जैसेः– सड़कों, इमारतों, पुलों आदि के निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
6. आवेदक प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि बालू खनन गतिविधियों जैसेः–लोडिंग, अनलोडिंग एवं ट्रान्सपोर्टेशन से परिवेशीय वायु गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए नियमित रूप से जमीन को नम करने हेतु पानी का छिड़काव किया जायेगा। बालू खनन क्षेत्र तक सुगमतापूर्वक आवागमन हेतु समुचित एवं सुरक्षित व्यवस्था की जायेगी। बालू खनन कार्य बाल श्रमिकों द्वारा नहीं किया जायेगा। उन्होंने आगे बताया कि परियोजना स्थल से 10 किलोमीटर त्रिज्यक दूरी के अन्दर कोई भी संरक्षित वन क्षेत्र/बर्ड सेन्चुरी आदि स्थित नहीं है।
7. परियोजना स्थल पर ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी समस्या को नियंत्रित करने हेतु अर्थ मूविंग मशीनरी का प्रयोग नहीं किया जायेगा। बालू ढोने में संलग्न वाहनों के आवागमन से जनित होने वाले परिवेशीय ध्वनि स्तर को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने हेतु साइलेन्सर आदि का उपयोग एवं समुचित रख–रखाव किया जायेगा। वाहनों द्वारा हार्न का प्रयोग कम से कम किया जायेगा। पुराने और खराब हो चुके वाहनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा रात में बालू के ढुलाई का कार्य नहीं किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण की रोक–थाम तथा पर्यावरण संतुलन हेतु छायादार एवं प्रदूषणरोधी किस्म के पौधों की हरित पट्टिका विकसित की जायेगी।
8. राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण उ0प्र0(स्टेट लेवल इन्वायरन्मेन्ट इम्पैक्ट असेस्मेन्ट अथारिटी, उ0 प्र0) के पत्र सं0 112/पर्या/एस.ई.ए.सी./4193/2018, दिनांक 25.05.2018 द्वारा

उक्त प्रस्तावित स्थल पर बालू खनन हेतु जारी टर्म्स आफ रिफरेन्सेज में आरोपित शर्तो का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

9. आवेदक द्वारा खनन के समय खान अधिनियम, 1952, खान एवं खनिज(विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957, माइनर मिनरल कन्सेशन नियम, 1963 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का अनुपालन किया जायेगा।

10. आवेदक के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि वैज्ञानिक ढंग से बालू खनन किये जाने से नदी के चैनल का नियंत्रण होगा, नदी के किनारों का भू–क्षरण नहीं होगा, आस–पास के कृषि भूमि के डूबने की सम्भावना कम होगी, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण संरचनाओं हेतु कच्ची सामग्री के रूप में बालू उपलब्ध होगा, रोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ–साथ क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

तत्पश्चात अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), लखीमपुरखीरी द्वारा बताया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 25.0 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण लोकसुनवाई प्रकिया की जानी होती है इसमें दो परियोजनायें 13.06 हेक्टेयर की सम्मिलत है जोकि बी–1 परियोजना के अंतर्गत जारी है जिसमे उक्त परियोजना के गाटा सं0–183 (ब) का कुल क्षेत्रफल 13.06 हेक्टेयर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा गाइड लाइन का कडाई से पालन करते हुए अपने क्षेत्र को चिन्हित कर अर्द्ध मशीनीकृत पद्यति से स्वीकृत खनन योजना के अनुसार खनन किया जाय, किसी भी दशा में पर्यावरण नियमो का उल्लघंन नही किया जाय। अपने सम्बोधन के अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी कहा गया कि उपस्थिति जन समुदाय/ग्रामीणो से यह भी कहा कि अपने अन्तकरण की शंका को व्यक्त करे जिससे उसका निराकरण किया जा सके। प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार **मैसर्स श्रीमती मनोरमा वर्मा जनपद–लखीमपुरखीरी द्वारा गाटा सं0–183–ब, (कुल क्षेत्रफल 13.06 हेक्टेयर) ग्राम–सर्वा शिवपुरी, तहसील–लखीमपुर जिला–लखी**मपुरखीरी द्वारा शारदा नदी से 156720 घनमी0 प्रतिवर्ष साधारण बालू के खनन 5 वर्षो हेतु खनन की स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी द्वारा समाचार पत्रों में दिनांक 11/01/18 को प्रकाशित कराया गया है। प्रतिवर्ष साधारण बालू खनन किया जाना है। आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तावित परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाले जाने के पश्चात् लोक सुनवाई में प्रतिभाग कर रहे जन समुदाय द्वारा परियोजना से आस–पास के विभिन्न पर्यावर्णीय घटकों के उपर पडने वाले दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में उठाये गये बिन्दुओं तथा उसके निराकरण हेतु आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताये गये उपायों का विवरण निम्नवत है :–

प्रश्न–1 श्री राजेश कुमार पाल पुत्र श्री कुंज बिहारी पाल ग्राम–इच्छारामपुरवा लखीमपुरखीरी द्वारा प्रश्न उठाया गया कि खनन कार्य होने से यहॉ के लोगो को क्या फायदा होगा ?

उत्तर'– आवेदक के प्रतिनिधि डा0 विजय कुमार मिश्रा ने अवगत कराया कि आस–पास के लोगो को खनन प्रकिया के दौरान जनित होने वाले रोजगार दिये जायेगें।

प्रश्न–2 श्री मस्त राम पुत्र श्री टुजइपाल ग्राम–इच्छारामपुरवा लखीमपुरखीरी द्वारा प्रश्न उठाया गया कि खनन कार्य से पेड़ पौधे तो नहीं काटे जायेगें।

उत्तर– आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि किसी भी प्रकार के पेड़ पौधो को कोई क्षति नहीं पहुॅचायी जायेगी।

प्रश्न–3 श्री अनूप कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार ग्राम–इच्छारामपुरवा लखीमपुरखीरी द्वारा प्रश्न उठाया गया कि क्या खनन कार्य केवल सर्वाशिवपुरी में हो रहा है या अन्य जगह भी होगा ?

उत्तर– इसका उत्तर अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया कि कोई खनन कार्य अन्य किसी और स्थल पर नहीं किया जायेगा यह लोकसुनवाई सर्वाशिवपुरी में बालू खनन कार्य हेतु ही की जा रही है।

प्रश्न–4 श्री वल्लभ राय पुत्र श्री राम कृष्ण जगदीशपुरवा गौराफूल बिहार लखीमपुरखीरी द्वारा जानकारी चाही गयी कि खनन कार्य किस महीने में होंगा ?

उत्तर– इसका उत्तर खनन निरीक्षक द्वारा दिया गया कि पट्टा धारको द्वारा वर्षा ऋतु के माह जुलाई अगस्त सितम्बर में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

प्रश्न–5 श्री नत्था राम पुत्र श्री बाबू राम इच्छारामपुरवा लखीमपुरखीरी द्वारा जानकारी चाही गयी कि खनन से उनको क्या मिलेगा ?

उत्तर– इसका उत्तर क्षेत्रीय अधिकारी डा0 राम करन द्वारा दिया गया कि नदी से बालू निकालने से आस–पास के गॉवों के सड़को का विकास किया जायेगा। बालू निकालने की प्रकिया से जनित होने वाले रोजगार स्थानीय ग्रामवासियों को दिये जायेगे।

प्रश्न–6 श्री नगेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार पाल इच्छारामपुरवा लखीमपुरखीरी द्वारा प्रश्न किया गया कि जो धनराशि सीएसआर में मिलेगी उसका क्या प्रयोग होगा ?

उत्तर– इसका उत्तर अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया कि सीएसआर की धनराशि शासन निर्धारित करती है यद्यपि नयी परियोजनाओं का निर्माण बाण क्षेत्र में नही किया जाता फिर भी चूकिं सर्वाशिवपुरी बाण क्षेत्र है फिर भी खनन हेतु अनुमति प्रदान की जा रही है। सीएसआर के तहत पट्टा धारक स्वास्थ्य की जॉच, वृक्षारोपण, सड़को का निर्माण किया जायेगा तथा इसी मंच से अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा ऐलान किया गया कि सभी पट्टा धारक प्राथमिक विद्यालय इच्छारामपुरवा का जीर्णोधार कराये तथा विद्यालय में अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करे ताकि विद्यार्थियों को धूप से बचाव हो सके।

प्रश्न–7 क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा यह आवेदक के प्रतिनिधि से जानकारी चाही गयी कि वाहनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जायेगा?

उत्तर– आवेदक के प्रतिनिधि श्री विजय कुमार मिश्रा ने अवगत कराया कि वाहनों का उचित ढंग से मेन्टेनेस किया जायेगा तथा सभी वाहनों को कवर्ड रखा जायेगा तथा जल छिड़काव हेतु स्थायी रूप से वॉटर–टैंकर की व्यवस्था की जायेगी।

प्रश्न–8 क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा प्रस्तावक से बालू के लोडिंग अनलोडिंग में प्रयुक्त वाहनो द्वारा पी0यू0सी0 सर्टिफाइड वाहनों का ही प्रयोग किये जाने हेतु आपेक्षा कि गयी, जिनमे 15 वर्ष से अधिक आयु के वाहनो का प्रयोग कदापि न किया जाये। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाइन्स के अनुसार वृक्षा रोपण का कार्य कराया जाय। आस–पास के ग्रामीणो के स्वास्थ का परीक्षण,एवं क्षतिग्रस्त सडको की मरम्मत का कार्य भी कराया जाये।

उत्तर– लोक सुनवाई में उपस्थित प्रस्तावको द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुझाये गये सभी बिन्दुओ पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आश्वस्थ किया गया ।

लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित आम जनों द्वारा दिये गये सुझाव एवं आपत्तियों को संज्ञान में लेते हुये, लोक सुनवाई हेतु गठित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परियोजना के संचालन से पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुये जल, वायु, ध्वनि एवं मृदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था एवं आवश्यक कियान्वयन की शर्त के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर विचार करने की शर्त के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय लिये जाने की संस्तुति की जाती है:–

1. परियोजना स्थल/नदी के किनारे किसी भी प्रकार के श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
2. नदी के किनारे खाना बनाने व लकड़ी जलाने जैसी गतिविधियां नहीं की जायेंगी।
3. खनन से पूर्व श्रमिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा, जिससे उन्हें काम करने के तरीकों के बारे में जागरूक बनाया जा सके।
4. किसी भी आपात कालीन स्थिति में श्रमिकों को चोट पहुॅचने की स्थिति से निपटने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा के रूप में फर्स्ट एड बाक्स की व्यवस्था परियोजना स्थल पर उपलब्ध करायी

जायेगी तथा प्रत्येक तीन माह में श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जायेगा तथा आसपास स्थित स्कूलो में वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।

5. परियोजना स्थल के समीप पेडों को काटने, झाड़ियों और जड़ी–बूटी आदि को जड़ सहित उखाड़ने नहीं दिया जायेगा।
6. बालू को ले जाने में प्रयुक्त होने वाले वाहनों के संचालन से जनित ध्वनि की सीमा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रखे जाने हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी।
7. बालू के लोडिग में प्रयुक्त वाहनो को ढक कर ले जाया जाये। पी0यू0सी0 सर्टीफाइड वाहनो का ही प्रयोग किया जाये। पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु के वाहनो का प्रयोग न किया जाये।
8. नदी के किनारे भू–क्षरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने हेतु परियोजना स्थल के समीप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाइन के अनुसार छायादार एवं प्रदूषणरोधी किस्म के पौधों की हरित पट्टिका विकसित की जायेगी।
9. समय–समय पर अनुश्रवण अनुसूची के अनुसार नदी की जल गुणता की जांच, परिवेशीय ध्वनि स्तर एवं परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अनुमोदित प्रयोगशाला से कराया जायेगा तथा पारिस्थितिकीय तन्त्र का अपघटन न हो, इसके लिए समुचित उपाय किये जाये। पर्यावरण की निगरानी हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन दल का गठन आवेदक द्वारा किया जायेगा, जो पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के नियंत्रण एवं कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा तथा आवश्यकतानुसार बाहरी पर्यावरण एजेन्सियों से भी सलाह लिया जायेगा।
10. राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण उ0प्र0(स्टेट लेवल इन्वायरन्मेन्ट इम्पैक्ट असेस्मेन्ट अथारिटी, उ0 प्र0) के पत्र सं0 122/पर्या/एस.ई.ए.सी./4193/2018, दिनांक 25.05.2018 द्वारा उक्त प्रस्तावित स्थल पर बालू खनन हेतु जारी टर्म्स आफ रिफरेन्सेज में आरोपित शर्तो का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
11. आवेदक द्वारा खनन के समय खान अधिनियम, 1952, खान एवं खनिज(विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957, माइनर मिनरल कन्सेशन नियम, 1963 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का अनुपालन किया जायेगा।

अन्त में के क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ डा0 राम करन द्वारा अपर जिलाधिकारी (वित्त राजस्व) लखीमपुरखीरी एवं उपस्थित जन समुदाय एवं अतिथियो का लोक सुनवायी को सुचारू रूप से सम्पादित करने में सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई प्रकिया समाप्त करने की घोषणा की गयी।

1. लोक सुनवायी के समय उपस्थित नागरिकों/पदाधिकारियों/पेनल सदस्यों/आमन्त्रित सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक –01 के रूप में संलग्न हैं।
2. लोक सुनवायी के वीडियो की सीडी संलग्नक –02 के रूप में संलग्न है।
3. दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कतरन संलग्नक –03 के रूप में संलग्न है।

15/11/2018
(डा0 राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

(अरूण कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
लखीमपुरखीरी

जिलाधिकारी
लखीमपुरखीरी

मैसर्स श्रीमती मनोरमा वर्मा जनपद–लखीमपुरखीरी द्वारा गाटा सं0–183–ब, (13.06 हेक्टेयर) ग्राम–सर्वा शिवपुरी, तहसील–लखीमपुर, जिला–लखीमपुरखीरी में शारदा नदी में मौरंग/बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव की लोक सुनवाई में उपस्थिति का विवरण :

स्थान – निकट प्राथमिक विद्यालय/पंचायत भवन, इच्छारामपुरवा, तहसील–लखीमपुर, जिला–लखीमपुरखीरी   दिनॉक– 30.10.2018   समय : 12.30 मध्यान्ह

क0 सं0	नाम व पद नाम	विभाग का नाम/पता	मोबाइल नं0	हस्ताक्षर
1	अरुण कुमार सिंह, ADM(F/R)	कार्यालय जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी	9454417629	[signature]
2	डा0 राम करन, क्षेत्रीय अधिकारी	उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	7839891841	[signature]
3	अजित कुमार पाण्डेय, M.J.	खनन विभाग Lakhimpur Khiri	8887534834	[signature]
4	R. K. Tewari AGE	UPPCB Lucknow	7839891816	[signature]
5	Kshitesh Patel S.A	UPPCB Lucknow	7839891045	[signature]
6	Nagendra Kumar Pal	इच्छारामपुरवा	8874569871	[signature]
7	Dr. Vijay Kumar Mishra	Geo Green Enviro House Pvt. Ltd, Lucknow	9415215163	[signature]
8	Sunil Verma	Geo Green Enviro House Pvt. Ltd. Lucknow	7011925963	[signature]
9	Shubham Mishra	Geo Green Enviro House Pvt. Ltd. Lucknow	8177064697	[signature]
10	विजय शंकर	जदीपुरवा	9792220933	विजय शंकर
11	जंगली	जदीपुरवा	—	जंगली
12	संदीप कुमार	इच्छारामपुरवा	8572947683	संदीप कुमार
13	लवकुश वर्मा	इच्छाराम पुरवा	8795482690	लवकुश
14	अमित वर्मा	इच्छारामपुर्वा		अमित
15	कमला कांत	"	—	कमला
16	बांकेलाल	इच्छारामपुरवा	—	बांकेलाल
17	बलबीर	"	8160609458	बलबीर

18	राजेन्द्र कुमार	इच्छाराम पुर्वा	-	राजेन्द्र
19	गल्या राम	इच्छा राम पुरवा	-	गल्याराम
20	राजकुमार	जदीप पुर्वा	9161432544	राजकुमार
21	शिवजी	जदीद पुर्वा	8052868278	शिवजी
22	राहुल यादव	जदीद पुर्वा	9919285889	राहुल यादव
23	Mast Ram	Eccharam Purwa	7068706279	Ram
24	विनोद	इच्छारामपुरवा	7379611२	
25	हरीशंकर वर्मा	इच्छारामपुरवा	7052633681	हरीशंकर
26	अनिल वर्मा	इच्छारामपुरवा	7355379672	अनिल
27	रामजीत वर्मा	इच्छारामपुरवा	7571892043	रामजीत
28	अहिबरन लाल	इच्छारामपुरवा	,,	अहिबरन
29	बलराम वर्मा	इच्छारामपुर्वा	9839762723	बलराम
30	रोहित कुमार वर्मा	इच्छारामपुर्वा	8576026979	रोहित
31	सतीश	गोरा	9839106640	सतीश
32	राजेश कुमार	इच्छाराम पुरवा	9984540400	राजेश
33	चन्द्रकिशोर	गोरी	9984161963	नन्द
34	समीर	इच्छाराम पुरवा	8181812090	समीर
35	RizwanAli	,,	723698449	Rizwan
36	Salman Ali	,,	9565819215	Salman
37	Rohit Tiwari	,, ,,	8960443827	[illegible]
38	[illegible]	,,	8299525460	[illegible]
39	[illegible]		9452023667	[illegible]
40	रमेश			रमेश

41	Dr. Vijay K. Mishra			
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				